पत्रांक–14/छुट्टी–602/2026– /सा0प्र0

**बिहार सरकार**

**सामान्य प्रशासन विभाग**

प्रेषक,

राजीव रंजन दास,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना।
प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना।

पटना–15, दिनांक– /03/2026

**विषयः– बिहार प्रशासनिक सेवा के पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत पदाधिकारियों का सेवा विनियमन के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या–4077, दिनांक–26.02.2026 द्वारा बिहार प्रशासनिक सेवा के पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत पदाधिकारियों का पदस्थापन/स्थानांतरण किया गया है।

2. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना में बिहार प्रशासनिक सेवा के पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत रहे पदाधिकारियों का विवरण निम्नवत् हैः–

| क्र0 सं0 | पदाधिकारियों का नाम एवं कोटि क्रमांक | सा0 प्र0 विभाग, में योगदान की तिथि | पदस्थापन की प्रतीक्षा में ली गई छुट्टी | अभियुक्ति |
|---|---|---|---|---|
| 1. | श्री अविनाश कुमार, 32/24 | 29.01.2026 | – | |
| 2. | श्री शिशिर कुमार मिश्र, 446/24 | 19.02.2026 | – | |
| 3. | श्रीमती रश्मि सिन्हा, 706/24 | 22.12.2025 | दि0–19.01.2026 से 30.01.2026 तक उपार्जित अवकाश। | अधिसूचना संख्या–1304, दिनांक–16.01.2026 से स्वीकृत। |

3. अतः उपर्युक्त वर्णित कंडिका–2 के क्र0सं0–1 से 3 में अंकित पदाधिकारियों का अनिर्णीत अवधि को निम्नलिखित रूप में विनियमित किया जाता हैः–

(i) श्री अविनाश कुमार, बि0प्र0से0, को0क्र0–32/24 को दिनांक–29.01.2026 से सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना निर्गत की तिथि–26.02.2026 तक मौलिक नियमावली के नियम 9 (6) (बी) (iv) जो बिहार सेवा संहिता के नियम–14 (बी) के सदृश है, के तहत पदस्थापन हेतु अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि के रूप में।

(ii) श्री शिशिर कुमार मिश्र, बि0प्र0से0, को0क्र0–446/24 को दिनांक–19.02.2026 से सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना निर्गत की तिथि–26.02.2026 तक मौलिक नियमावली के नियम 9 (6) (बी) (iv) जो बिहार सेवा संहिता के नियम–14 (बी) के सदृश है, के तहत् पदस्थापन हेतु अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि के रूप में।

(iii) (क) श्रीमती रश्मि सिन्हा, बि0प्र0से0, को0क्र0–706/24 को दिनांक–22.12.2025 से 18.01.2026 तक मौलिक नियमावली के नियम 9 (6) (बी) (iv) जो बिहार सेवा संहिता के नियम–14 (बी) के सदृश है, के तहत् पदस्थापन हेतु अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि के रूप में।

(ख) दिनांक–19.01.2026 से 30.01.2026 तक उपार्जित अवकाश (अधिसूचना संख्या–1304, दिनांक–16.01.2026 द्वारा स्वीकृत) के रूप में।

(ग) दिनांक–31.01.2026 से सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना निर्गत की तिथि–26.02.2026 तक मौलिक नियमावली के नियम 9 (6) (बी) (iv) जो बिहार सेवा संहिता के नियम–14 (बी) के सदृश है, के तहत् पदस्थापन हेतु अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि के रूप में।

11.03.2026

4. उक्त अवधि में उपर्युक्त कंडिका–2 में अंकित पदाधिकारियों को कोटि वेतन देय होगा।

5. प्रस्ताव में विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

ह0/–

(राजीव रंजन दास)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–14/छुट्टी–602/2026– 4830 /सा0प्र0, पटना–15, दिनांक– 12/03/2026

प्रतिलिपिः–संबंधित विभाग/संबंधित पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–12, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/~~प्रबंधक~~, आई0टी0, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11.03.2026

सरकार के उप सचिव।